।। कार्यालय पुलिस उप अधीक्षक वृत गिर्वा जिला उदयपुर ।।

क्रमांकः— 165 दिनांकः— 12.01.2021

सेवामें,

श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय
जिला — उदयपुर ।

विशय — दिनांक 17.12.2020 को प्रमुख समाचार पत्र दैनिक भास्कर जयपुर संस्करण में प्रकााित खबर भीर्शक किशोरी के अपहरण के आरोपी की पुलिस हिरासत मे मौत के संबंध में रिपोर्ट ।

प्रसंग — श्रीमान कार्यालय ईमेल दिनांक 12.01.2021 की पालना में ।

महोदयजी,

उपरोक्त विशयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के कम मे निवेदन है कि दिनांक 17.12.2020 को प्रमुख समाचार पत्र दैनिक भास्कर जयपुर संस्करण में प्रकाि ात खबर भीर्शक कि ोरी के अपहरण के आरोपी की पुलिस हिरासत मे मौत जरिये मेल श्रीमान कार्यालय से इस आ ाय का प्राप्त हुआ कि इस प्रसंज्ञान द्वारा हमारा प्रयास, इस प्रकार है की व्यापक जनहित और संवेदन ील खबरों पर सरकार द्वारा की गयी त्वरित कार्यवाही से आमजन को अवगत करवाना है । साथ ही साथ कई बार प्रकाि ात असत्य, भ्रामक तथा तथ्यों से परे खबरों को भी आमजन के सामने उजागर करना है जिससे आमजन में भाासन/ अभिरण की छवि खराब न होवें ।

राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदे ा कमांक : निस/ सूजस/2012 / 3375—434 दिनांक 12.03.2012 के अनुसार समाचार पत्रा में प्रकाि ात जनहित /नकारात्मक और आलोचनात्मक खबरों की वस्तुस्थिती और सरकार की प्रतिक्रिया के संबंध में पूर्ण एवं तथ्यातमक रिपोर्ट उपलब्ध कराये।

इस संबंध में निवेदन है कि वृत सर्कल के थाना सायरा जिला उदयपुर के प्रकरण संख्या 194/2019 धारा 363, 366 भादस मे अपहृता सवली बाई व नामजद आरोपी श्री लालाराम, श्री चैनाराम, श्री मनसाराम की तला ा हेतु थाने से पुलिस जाब्ता दिनांक 14.12.2020 को रवाना हो प्रकरण मे नामजद आरोपी लालाराम पुत्र पन्नाराम गरासिया निवासी गोडारा थाना सायरा, उदयपुर को हमरा साथ ले लालाराम की सुचना पर उसके रि ते मे भाई कालुराम पुत्र रामा जी गरासिया को साथ लेकर दिनांक 15.12.2020 को देर रात्रि थाना सायरा लाये। दिनांक 16.12. 2020 को प्रातः 09.30 बजे लालाराम गरासिया की तबियत अचानक खराब होने पर श्री रामावतार सउनि मय जाब्ता के पी.एच.सी सायरा उपचार हेतु लेकर गये , जहॉ पर लालाराम गरासिया का मेडिकल ऑफीसर के द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया । लालाराम गरासिया की तबियत ज्यादा खराब होने से मेडिकल ऑफीसर द्वारा एम.बी.जी.एच. उदयपुर रेफर किया गया। जिस पर पुलिस जाब्ता लालाराम गरासिया को पी.एच.सी सायरा से ईलाज हेतु एम.बी.जी. एच. उदयपुर लेकर रवाना हुआ रास्ते मे लालाराम गरासिया की तबियत अचानक ज्यादा खराब होने स सी.एच.सी पदराडा मे चैक करवाया गया। मेडिकल ऑफीसर पदराडा द्वारा लालाराम गरासिया को दौराने ईलाज मृत घोशित किया गया। इसके उपरान्त लालाराम गरासिया की ला ा को सीएचसी पदराडा में मोर्चरी की व्यवस्था नही होने से पीएचसी सायरा मोर्चरी मे रखवाया गया । मृतक लालाराम गरासिया के परिजनो को घटना की जानकारी दी गयी। जिस पर लालाराम के परिजन थाना सायरा पर उपस्थित आये एवं कालुराम से चर्चा कर कालुराम द्वारा लालाराम गरासिया के पुत्र एव पत्नी की उपस्थिति मे एक रिपोर्ट कानूनी कार्यवाही करने हेतु प्रस्तुत की जिस पर लालाराम गरासिया वास्ते अनुसंधान पुलिस निगरानी में हो दौराने ईलाज मृत्यू हो जाने पर धारा 176 दण्ड प्रक्रिया संहिता की परिधि मे आने से परिजनो की रिपोर्ट पर मर्ग संख्या 58/2020 धारा 176 जा. फौ. में थाना सायरा पर दर्ज कर जॉच श्रीमान उप खण्ड मजिस्ट्रेट गोगुन्दा द्वारा की जा रही है । श्रीमान उप खण्ड मजिस्ट्रेट गोगुन्दा द्वारा पी.एच.सी. सायरा मे मेडिकल बोर्ड का गठन करवाकर स्वयं व मृतक लालराम के परिजनों की उपस्थिति मे पोस्टमार्टम करवाया गया व पोस्टमार्टम की विडियोग्राफी करवाई गयी।

उक्त घटना से संबंधित कोई परिवाद पैण्डिग नही है । उपरोक्त घटना के संबंध में मर्ग संख्या 58/2020 धारा 176 जा. फौ. में थाना सायरा पर दर्ज हो जॉच श्रीमान उप खण्ड मजिस्ट्रेट गोगुन्दा द्वारा की जा रही है, जो जैर जांच है ।

अतः तथ्यात्मक रिपोर्ट श्रीमान की सेवामें पे ा है ।

भवदीया,

(प्रेम धणदे)
पुलिस उप अधीक्षक
वृत गिर्वा जिला उदयपुर

।